FIVE RUPEES

(33)

न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

प्रकरण कमांक /13–14 A-1475-I/14

जुवानसिंह पिता कानसिंह जाति सौंधिया राजपूत, उम्र 46 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम रसुलपूरा तह. महिदपुर जिला उज्जैन म. प्र. ।

——— अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा खनिज निरीक्षकद्व उज्जैन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश ।

——— प्रत्यर्थी

विनोद जैन 24-3-2014 24.3.14

410 24/3/2014

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 96/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 03/02/2014 से असंतुष्ट होकर अपील अंतर्गत धारा 44 मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित अपील प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि विचारण न्यायालय, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, महिदपुर, के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 29/03/2012 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कारण बताओ सूचना पत्र में अपीलार्थी पर सर्वे नंबर 1 रकबा हेक्टेयर 7.36 आरे भूमि स्थित ग्राम रसूलपुरा तह. महिदपुर की भूमि पर के क्षेत्र 2396.01 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना आरोपित किया गया तथा रायल्टी राशि रूपये 1,26,993.30 पैसे के विरूद्ध रूपये 27,75,320 /– अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया ।

2– यह कि उक्त सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय में क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति ली गई तथा प्रकरण में जवाब भी प्रस्तुत किया गया तथा उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार किया गया । जवाब में अपीलार्थी के द्वारा उसके विरूद्ध दूभावनावश प्रकरण बनाने का कथन भी किया गया ।

3– यह कि प्रकरण में प्रत्यर्थी के द्वारा साक्ष प्रस्तुत की गयी । प्रत्यर्थी की ओर से जो साक्ष प्रस्तुत की गयी, उसमें अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध उत्खनन

XXXIX(a)BR(H)-11

(32)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1475–एक / 14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/9/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अवैध उत्खनन का है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । उन्होंने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि स्थल निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन पाया गया है तथा उत्खनन के उपयोग में लाई गई सामग्री आदि जप्त की जाकर खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । उन्होंने यह भी पाया है कि एस.डी.ओ. द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जायकर अर्थदण्ड आरोपित किया गया है । उक्त कारणों से उन्होंने एस.डी.ओ. के आदेश को न्यायोचित मानते हुए अपील निरस्त की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह अपील अग्राहय की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	